उत्तर प्रदेश सरकार
गृह(पुलिस) अनुभाग-2
संख्याः-1333/छः-पु0-2-2016-1600(128)/2015
लखनऊः दिनांकः 06 जून, 2016
संख्याः-430/छः-पु0-2-2017-1600(128)/2015
लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा-2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये सभी वर्तमान निमयों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस की आरमोरर शाखा की अधीनस्थ सेवा के पदों पर नियुक्ति , प्रशिक्षण, प्रोन्नति , ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम/उपनियम बनायो जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2016**

**भाग-एक सामान्य**

**1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2.सेवा की प्रास्थिति-**

उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा में समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

**3.परिभाषायें-**जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य आरक्षी आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर के पदों सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक तथा उपनिरीक्षक आरमोरर व निरीक्षक आरमोरर के पदो के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक से है;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से है;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(झ) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर व निरीक्षक आरमोरर की सेवा से है;

(ट) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है;

(ढ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से गठित चयन समिति से है;

## भाग-दो-संवर्ग

4- **सेवा का संवर्ग-**

1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

परन्तु यह कि वर्तमान पदों की संख्या निम्नवत् होगीः-

| **पद के नाम** | **अस्थायी** | **स्थायी** | स्वीकृच निचन |
|---|---|---|---|
| आरक्षी आरमोरर | **53** | **341** | 394 |
| मुख्य आरक्षी आरमोरर | **14** | **137** | 151 |
| उपनिरीक्षक आरमोरर | | **18** | 18 |
| निरीक्षक आरमोरर | | **2** | 2 |

परन्तु यह और किः-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे प्रस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) विभागाध्यक्ष समस्त स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुर्ननिर्धारित कर सकता है;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

## भाग-तीन-भर्ती हेतु पात्रता

5.**भर्ती का स्रोत अर्हताए एवं पात्रताएं**

(क) आरक्षी आरमोरर -आरक्षी आरमोरर के शत-प्रतिशत रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा चयन के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी 0सी0ए0से भरी जायेगी जो निम्न पात्रताए पूर्ण करते होः-

(एक) चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को 32 वर्ष की आयु से अधिक न हों।

(दो) अच्छे स्वास्थ्य का हो और आंखों के परीक्षण में दृष्टि 6/6 बगैर चश्मे के हो।

(तीन) पूर्व में आरक्षी आरमोरर के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।

(चार) भर्ती के प्रथम जुलाई को कम से कम 03 वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में व्यतीत किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर ) पूर्ण कर ली हो।

(पाँच) विगत पांच वर्षों की अवधि में-:

1. सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो; या
2. कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो; या
3. दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

(छः) विगत तीन वर्षों की अवधि में-

1. कोई दण्ड लघु न मिला हो; या
2. दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों; या
3. कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

**(ख) मुख्य आरक्षी आरमोरर** - मुख्य आरक्षी आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वरा बोर्ड के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे आरक्षी आरमोरर से भरी जायेगी जोः-

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को आरक्षी आरमोरर के रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों।

(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड-3 कोर्स उत्तीर्ण हो।

(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण मे असफल न पाये गये हो।

**(ग) उपनिरीक्षक आरमोरर-** उपनिरीक्षक आरमोरर की शत-प्रतिशत रिक्तिया प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर से भरी जायेगी जोः-

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी आरमोरर के रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए हों।

(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड-2 कोर्स आवश्यक रूप में उत्तीर्ण हो।

(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण मे असफल न पाये गये हो।

**(घ) निरीक्षक आरमोरर-** निरीक्षक आरमोरर के पद पर शत प्रतिशत रिक्तियाँ प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे उपनिरीक्षक आरमोरर से भरी जायेगी जोः -

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उपनिरीक्षक आरमोरर के रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए हों।

(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड-1 कोर्स आवश्यक रूप में उत्तीर्ण हो।

(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण मे असफल न पाये गये हो।

**भागभर्ती एवं प्रशिक्षण-चार- की प्रक्रिया**

6- **रिक्तियों का अवधारण -**

नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेंगे और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिक्तियों की संख्या विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को सूचित की जायेगी। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन करेगा।

**7. आरक्षी आरमोरर का चयन**

(क) आवेदन –पुलिस मुख्यालय विभागीय परिपत्र के माध्यम से समस्त जनपदों/इकाईयों/पीएसी वाहिनियों से नियम -5(क) में उल्लिखित आरक्षी आरमोरर के पद की पात्रता रखने वाले आरक्षी नागरिक पुलिस/

आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों का पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण कर, त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर संबंधित अभ्यर्थी /आरक्षी को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा । पुलिस मुख्यालय द्वारा उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख)चयन सूची बोर्ड सभी पात्र अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर परिशिष्ट के अनुसार अंक प्रदान करेगा तथा बोर्ड सभी अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। बोर्ड उपरोक्त सूची में से, प्राप्त् अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में, रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची तैयार केगा जिसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त चयन सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का अवधारण निम्नलिखित रीति से पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगाः-

(एक) एक ही संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(दो) भिन्न संवर्गों के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि पूर्ववर्ती चयन के अभ्यर्थी को पश्चातवर्ती चयन के अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ माना जायेगा। यह चयन पूर्ववर्ती माना जायेगा जिसकी चयन की तिथि पूर्व की हो। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(तीन) यदि भिन्न संवर्गों की चयन तिथि समान हो अथवा किसी संवर्ग के कर्मियों की चयन तिथि उपलब्ध न हो तो चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उनकी उस संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी जिससे उन्होंने इस चयन में भाग लिया है तथा उसके समान होने पर उनका क्रम जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि मौलिक नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि समान होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के क्रम के अनुसार उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

**(घ) स्वास्थ्य परीक्षण-** स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा। आरक्षी आरमोरर रूप में चयनित आरक्षियों का चिकित्सा परीक्षण, विभागाध्यक्ष द्वारा तय प्रक्रिया अन्तर्गत, पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जायेगा। चिकित्सा परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

**(ङ) प्रशिक्षण और नियुक्ति-** आरक्षी आरमोरर के कोर्स हेतु चयनित अभ्यर्थियों, जो स्वास्थ्य परीक्षण पास कर लेते है, को पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित ज्येष्ठताक्रम के अनुसार प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी । प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति एवं तैनाती हेतु आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण में असफल होंगे, उन्हें मूल संवर्ग में वापस कर दिया जायेगा।

8- **पदोन्नति द्वारा भर्ती-**

(1) मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया- मुख्य आरक्षी आरमोरर के शतप्रतिशत पद-ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, आरक्षी आरमोरर के पद से पदोन्नति द्वारा ऐसे आरक्षी आरमोररों में से भरे जायेंगे जो नियम में (ख)5-निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों। पुलिस मुख्यालय

द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाले ऐसे आरक्षी आरमोररों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी । विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी, मुख्य आरक्षी आरमोरर के पदों पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

(2) उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया- उपनिरीक्षक आरमोरर के शतप्रतिशत पद-ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोररों में से भरे जायेंगे जो नियम)5-ग में (निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाले ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोररों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) उपनिरीक्षक आरमोरर के पदों पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

(3) निरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया- निरीक्षक आरमोरर के शतप्रतिशत पद- ज्येष्ठता आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा ऐसे उपनिरीक्षक आरमोरर में से भरे जायेंगे जो नियम)5-घ में (निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाले ऐसे उपनिरीक्षक आरमोरर की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी । विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक आरमोरर के पदों पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

9-चयन समिति:-

(क( आरक्षी आरमोरर के चयन एवं अन्य सभी पदों की पदोन्नति, के लिए बोर्ड द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी।

(ख( समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।

(ग( चयन समिति सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।

(घ) पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

10- बंध–पत्र

सेवा के सदस्यों से इस आशय का एक अनुबन्ध पत्र लिया जायेगा कि उनके अस्त्र शस्त्रों के अवैध व्यवहरण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त पाये जाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारण से, अपने मूल संवर्ग में वापस किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी एवं इस नियमावली के अधीन धारित किसी भी पद पर मूल विभाग में अधिकार नहीं होगा।

## भाग-पाँच-प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता अवधारण

11- प्रशिक्षणः

(1) संवर्ग में उल्लिखित किसी पद पर चयन या पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मी को प्रशिक्षण संस्थान में ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये ।

(2) आरक्षी आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर एवं निरीक्षक आरमोररों को प्रतिवर्ष होने वाला फायरिंग अभ्यस कराया जायेगा तथा पुलिस विभाग में प्रचलित शस्त्रों की मरम्मत एवं रख रखाव का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

12- **आरमोररों से सम्बन्धित सेना का ग्रेड कोर्स-**

सेना के आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स, आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स, और आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स अथवा इसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आरमोरर ग्रेड-1 कोर्स, आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स और आरमोरर ग्रेड-3 कोर्स के लिए उपलब्ध सीटो के अनुसार ज्येष्ठता क्रम में सम्बन्धित रैंकों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा । उपर्युक्त प्रशिक्षण सम्पादित कराना पुलिस मुख्यालय का दायित्व होगा ।

13- **परिवीक्षा-**

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढाई जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी ।

(3) परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विभल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिका न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

14- **स्थायीकरण-**

(1) इस नियम के उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि;

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए

आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

15- **ज्येष्ठता-**

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समयसमय पर यथा संशोधित - उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित 1991 की जायेगी कि किसीपूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी। आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन के अन्तर्गत एक चयन के चयनित कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार होगी।

(3) यदि किसी पद पर हुई भर्ती के सम्बन्ध में कोई सूची उपलब्ध नहीं है तो उस पद पर उस चयन के माध्यम से नियुक्ति कर्मियों की ज्येष्ठता उनके उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी। अगर यह तिथि समान हो तो उनके उस पद पर भर्ती की तिथि से अवधारित की जायेगी जिस पद से उनका चयन अथवा प्रोन्नति की गयी है। अगर यह तिथि भी समान है तो उस दशा में उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। उपरोक्त सभी तिथियाँ समान होने की दशा में उनकी ज्येष्ठता हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

16- **आरमोरर संवर्ग से पोषक संवर्ग में प्रत्यावर्तनः-**

सक्षम अधिकारी आरमोरर संवर्ग के किसी कर्मी के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अस्त्र-शस्त्र के व्यवसाय में लिप्त पाये जाने अथवा किसी अन्य कारण से आरमरी के काम के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर, अपनी आख्या पुलिस महानिरीक्षक स्थापना को प्रेषित करेगा, जो उसे उसके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। अगर किसी कर्मी को आरक्षी आरमोरर के पद से वापस किया जाता है तो उसे उसके लियन में आरक्षी के पद पर वापस भेजा जायेगा जहाँ वह अपनी मूल भर्ती की वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा। आरमोरर संवर्ग में आरक्षी से उच्चतर पद से वापस किये जाने की स्थिति में उसे उसके मूल संवर्ग के समकक्ष पद पर समायोजित कर दिया जायेगा। यदि एक से अधिक कर्मी एक वर्ष में मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाते है जो पदावनति नहीं है, तो उनकी वरिष्ठता उपर्युक्त प्रकार से धारित पद के अनुसार अवधारित होगी। यह कार्यवाही सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध प्रचलित विभागीय/आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

## भाग छः- वेतन, भत्ते आदि

**17- वेतनमान-**

**(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-मसय पर अवधारित किया जाय।

**(2)** इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैः-

| क्र0 | पद | वेतन बैण्ड | ग्रेड पे |
|---|---|---|---|
| 1 | निरीक्षक आरमोरर | वेतन बैण्ड-2<br>रू0 9300-34800 | 4600 |
| 2 | उप निरीक्षक आरमोरर | वेतन बैण्ड-2<br>रू0 9300-34800 | 4200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | मुख्य आरक्षी आरमोरर | वेतन बैण्ड-1<br>रू0 5200-20200 | 2400 |
| 4 | मुख्य आरक्षी आरमोरर | वेतन बैण्ड-1<br>रू0 5200-20200 | 2000 |

इसके अतिरिक्त सेवा के दस्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

**भाग-सात – अन्य उपबन्ध**

**18-सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण-**

(1) प्रत्येक निरीक्षक आरमोरर, उप निरीक्षक आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी आरमोरर का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

(2) सेवाकाल के दौरान यदि किसी सेवा के सदस्य को ऐसी बीमारियाँ हो जाती है, जो उसकी आरमोररी सम्बन्धी कार्य को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, जैसे-मोतियाबिन्द, ग्लूकोमा, किसी भी प्रकार की नर्वसनेस, पार्किन्सन, ट्रैमर्स आदि। ऐसे कर्मियों से आरमररी का कार्य कदापि नहीं लिया जायेगा तथा इन्हें मूल लियन में रत्यावर्तित किया जायेग। अगर किसी कर्मी को आरक्षी आरमोरर के पद से वापस किया जाता है तो उसे सके लियन में आरक्षी के पद पर वापस भेजा जायेगा जहाँ वह अपनी मूल भर्ती की वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा। आरमोरर संवर्ग में आरक्षी से उच्चतर पद से वापस किये जाने की स्थिति में उसे उसके मूल संवर्ग में समकक्ष पद पर इस प्रकार समायोजित कर दिया जायेगा जो उसके आरमोरर संवर्ग में धारित पद से निम्नतर न होगा। यदि एक से अधिक कर्मी एक वर्ष में मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाते है जो पदावनति निहीं है, तो उनकी वरिष्ठता उपर्युक्त प्रकार से धारित पद के अनुसार अवधारित होगी।

19-**पक्ष समर्थन-**

किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

20- **अन्य विषयों का विनियमन-**

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों , विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

21- **सेवा की शर्तों में शिथिलता-**

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले अन्य किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, गहाँ वह उस मामले में लागू नयमों में से किसी बात के होते हुए भी , आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

22- **व्यावृत्ति-**

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर निहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

23- **अध्यारोही प्रभाव-**

(1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता अवधारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये शासनादेश विखण्डित-और प्रतिसंहत हो जायेंगे।

(3) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी, प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों, जो इस नियमावली से असंगत न हो, के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित लाभ इस नियमावली के अधीन स्वीकृत हुये समझे जायेंगे।

आज्ञा से ,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट

[नियम 7(ख) देखे]

कानिस्टेबिल आरमोरर के पद पर चयन की प्रक्रिया

1- सेवाभिलेख-

सेवाभिलेख के आधार पर अधिकतम 40 अंक दिये जा सकते है, जो निम्न प्रकार हैः-

(क)सेवा अवधि 10 अंक
(ख)वार्षिक प्रविष्टि 20 अंक
(ग) पुरस्कार 05 अंक
(घ) पदक 05 अंक

2- सेवाभिलेख के विभिन्न मदों में अंक आवंटन के मापदण्ड-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | सेवा अवधि के अनुसार अंक | अधिकतम 10 अंक<br>(आरक्षी के रूप में पूर्ण की गयी प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिए 01 अंक) | |
| (दो) | वार्षिक अभ्युक्ति पर अंक | विगत 10 वर्षों के वार्षिक मूल्यांकन पर कुल अधिकतम 20 अंक देय होंगे जो निम्नानुसार दिये जायेंगेः- | |
| | | 1- प्रत्येक आटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट | 2.0 अंक |
| | | 2- प्रत्येक वेरीगुड/अति उत्तम/एक्सीलेन्ट | 1.5 अंक |
| | | 3- प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा | 1.0 अंक |
| | | 4- प्रत्येक सन्तोषजनकअच्छा अथवा औसत | 0.5 अंक |
| | | 5- प्रत्येक खराब/असंतोषजनक | 0.0 अंक |
| | | नोटःजहाँ वार्षिक अभ्युक्ति में उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो - अथवा ग्रेडिंग न हो वहाँ चयन समिति द्वारा सम्पूर्ण प्रविष्टि का अध्ययन | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | किया जायेगा एवं उसका मूल्यांकन कर तद् नुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। | |
| (तीन) | पुरस्कार/सुप्रविष्ट पर अंक | अधिकतम 05 अंक<br>1- प्रत्येक नकद पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि पर | 05 अंक |